राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 723/2023

भानूप्रकाश सिंह हाडा —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बोरदा, झालावाड़।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.01.2023
आदेश की दिनांक : 06.02.2023
अपीलार्थी की ओर से : श्रीमती रेखा जैन, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बोरदा, झालवाड़ में पदस्थापित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बोरदा, झालवाड से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरथल, बारां 85 कि.मी. दूर किया गया। उक्त आदेश के द्वारा अन्य 04 कार्मिकों का स्थानान्तरण उसी जिले में ही किया गया है, लेकिन अपीलार्थी का स्थानान्तरण दुर्भावनापूर्वक बिना प्रशासनिक आवश्यकता के अन्यत्र जिले में किया गया है। अपीलार्थी को अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है। अपीलार्थी का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषय का वर्ष 2016—17 से 2021—2022 तक परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत रहा है (अनुलग्नक—2)। उल्लेखनीय है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गागरोन एवं गोविन्दपुरा, झालावाड़ में पद रिक्त होने के बावजूद अपीलार्थी का स्थानान्तरण बारां किया गया। अपीलार्थी की 85 वर्षीय माता है, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी की है।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत

करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य